उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांक–परीक्षा/ 402 /2023-24 /2023–24 दिनांकः 14 अगस्त, 2023

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पद नाम–छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इन्चार्ज, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, सर्वेक्षक, सुपरवाईजर (केवल महिलाओं के लिए) (पद कोड–122, 187, 190, 296, 485, 513, 520, 526, 550, 599, 604, 641/29/2020) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 09 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर **पद कोड–122, 187, 190, 296, 485, 513, 520, 526, 550, 599, 604, 641/29/2020)** में चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के आधार पर दिनांक **16 अगस्त, 2023 से 13 सितम्बर, 2023** तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार **अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जाना निर्धारित है।**

ज्ञातव्य है कि उक्त भर्ती परीक्षा में विभिन्न विभागों व पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार अपनी वरीयता/विकल्प भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को विकल्प/वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर लिंक दिया जा रहा है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. चयनित अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिए गये लिंक के माध्यम से अपनी ऑनलाईन वरीयता भरना अनिवार्य है।
2. चयनित अभ्यर्थी को विकल्प भरने हेतु यूजर आई०डी० अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एंव पासवर्ड उसकी जन्म तिथि होगी।
3. अभिलेख सत्यापन के समय चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा विभागवार ऑनलाईन भरे गये विकल्पों को Submit करने के बाद दो प्रतियो में प्रिंट निकालना है, तथा एक हस्ताक्षरित प्रति अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी ध्यान रखे कि उक्त परीक्षा में विभाग एवं पदों की वरीयता हेतु विकल्पों को पूर्णतया समझने एवं विचार करने के बाद ही अपनी वरीयता अंकित करें। विकल्प एक बार Submit होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव